जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

माननीय उच्चतम न्यायालय के **W.P.C. No. 940/2017** में दिए निर्देशों के क्रम में माननीय **DRT-III**, नई दिल्ली के निर्देशों की पालना में आम्रपाली ग्रुप की अनुमोदित आवासीय योजना ''हाईटेक सिटी–द्वितीय'' के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आरक्षित भूखण्डों का लॉटरी द्वारा आवंटन

1. भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अवधि	दिनांक 14.05.2019 से 22.05.2019 तक
2. लॉटरी तिथि, समय व स्थान	दिनांक 27.05.2019 प्रातः 11.00 बजे नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा परिसर, जयपुर

योजनाओं से सम्बन्धित आवेदन एवं आवेदन प्रक्रिया आरक्षित श्रेणीवार पात्रता, नियम तथा शर्तो की विस्तृत जानकारी जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

1. हाईटेक सिटी–द्वितीय, राजस्व ग्राम–ठिकरिया, तह.–सांगानेर के खसरा नं. 266,281,282,316 कुल किता 4 कुल रकबा 1.558 हैक्टयर योजना की 90ए का निर्णय दिनांक 05.06.2013 के अनुसार हाईटेक सिटी–।। योजना मुख्य जयपुर–अजमेर रोड़, जयपुर में अनुमोदित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भूखण्डों की माननीय DRT-III उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के निर्देशो के क्रम में जरिये लॉटरी द्वारा आवंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें है।
2. कमजोर आय वर्ग (EWS) एवं अल्प आय वर्ग (LIG) की मासिक आय, भूखण्ड क्षेत्रफल एवं आवंटन की दर निम्नानुसार होगी

क्र. स.	विवरण	कमजोर आय वर्ग **(EWS)** श्रेणी		अल्प आय वर्ग **(LIG)** श्रेणी	
	भूखण्ड				
1.	निजी खातेदारी योजना में भूखण्डों की संख्या	09 भूखण्ड		06 भूखण्ड	
2.	निजी खातेदारी के भूखण्डों का क्षेत्रफल	45 वर्गमीटर		46 से 90 वर्गमीटर	
3.	(i) परिवार की प्रतिवर्ष सकल आय सीमा (रूपये)	LIG Group-A (EWS) 150000/– तक प्रति वर्ष	LIG Group-B 150001/– से 2,00,000/– तक प्रति वर्ष	MIG Group-A 2,00,001/– से 4,00,000/– तक प्रति वर्ष	MIG Group-B 4,00,001/– से 6,00,000/– तक प्रति वर्ष
	(ii) आवंटन दर प्रति वर्ग मीटर (आवासीय आरक्षित दर रू. 6000/– प्र.व.मी.)	आरक्षित दर का 25 प्रतिशत	आरक्षित दर का 60 प्रतिशत	आरक्षित दर का 90 प्रतिशत	आरक्षित दर पर
	(iii) पंजीकरण राशि प्रति भूखण्ड (रूपये में)	10,000/–	15,000/–	20,000/–	25000/–

सफल आवंटी आयवर्ग के अनुसार आवंटित भूखण्ड का क्षेत्रफल घोषित क्षेत्रफल से मौके पर अधिक होने की दशा में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.2018 के अनुसार देय होगी। **योजना के कॉर्नर भूखण्ड आवंटन होने पर आरक्षित दर के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अधिक राशि देय होगी।**

3. आवंटन हेतु उपलब्ध कुल भूखण्डों की संख्या योजनावार व श्रेणीनुसार जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। भूखण्ड का आवंटन शहरी भूमि निस्तारण नियम 1974, राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी–2010 (10 हैक्टयर से अधिक) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल, ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक) में तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नितियों, आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार होगा।

4. आवेदन करने की अनिवार्य पात्रता :

4.1 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि से 18 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य हैं।

4.2 आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा।

4.3 आवेदक को आवेदन पत्र में एक मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

4.4 यह मोबाइल नम्बर आवेदक के स्वयं के नाम या स्वयं के परिवार के सदस्य के नाम होना अनिवार्य हैं। इस हेतु परिवार का आशय आवेदक स्वयं, पति/पत्नी एवं आश्रित सदस्य सम्मिलित होगा। आश्रित सदस्य वह है जिसकी आय श्रेणी हेतु सकल आय की गणना में सम्मिलित की जाती है।

4.5 आवेदक के स्वयं के नाम पर मोबाइल नम्बर नहीं होने की दशा में परिवार के सदस्य जिसका मोबाइल नम्बर आवेदन में अंकित किया है, का परिवार के सदस्य का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

4.6 स्वयं, पति/पत्नि या आश्रित सदस्य के स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति का मोबाइल नम्बर उल्लेख करने पर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

4.7 आवेदक स्वयं एवं उसकी/उसके पत्नी/पति अथवा किसी आश्रित के पास राजस्थान के किसी भी नगरीय क्षेत्र (जिसकी आबादी 1,00,000 से अधिक हो) में कोई आवासीय भूखण्ड/मकान/फ्लैट् (लीजहोल्ड/फ्री होल्ड पर) नही होना चाहिए।

4.8 जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्ष में कोई मकान/भूखण्ड रियायती दर पर आवंटित नही हुआ हो। सफल आवेदक से आवंटन से पूर्व इसका शपथ–पत्र भी लिया जावेगा।

4.9 आवेदक के स्वयं के परिवार की मासिक सकल आय (पति,पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय) वित्तीय वर्ष **2018–19** (01 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2019 तक) के आधार पर होनी चाहिए। आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की सकल मासिक आय के आधार पर की जाएगी। कुल आय में सभी स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी।

4.10 ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते है उन्हें आई.टी.आर. की प्रति/फार्म 16 तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा।

4.11 निर्धारित प्रपत्र में ही तैयार किया गया आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। वेतन स्लिप एवं अन्य प्रपत्र मान्य नहीं होंगे, ऐसे आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे।

5. भूखण्डों में विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण :–

योजना में प्रस्तावित लॉटरी हेतु ईडब्ल्यूएस के कुल भूखण्ड 09 तथा एलआईजी के कुल भूखण्ड 6 निर्धारित होने से आरक्षण हेतु न्यूनतम 21 भूखण्डों की संख्या से कम होने के कारण भूखण्डों का श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है।

6. आवेदन की सामान्य शर्ते :–

6.1 एक ही व्यक्ति द्वारा अलग–अलग एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

6.2 ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

6.3 आवेदनकर्ता आवेदन करते समय यह सुनिश्चित करें कि बैंक खाता आवेदक के स्वयं के नाम होवें एवं आवेदनकर्ता का बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही व **स्वयं के नाम से** चालू स्थिति में हो **संयुक्त नाम से खाता संख्या मान्य नहीं होगा**।

6.4 राज्य सरकार या स्थानीय निकाय समय–समय पर जो भी कर/किराया आदि तय करती हैं वह इस आवंटन पर भी लागू होगा। आवंटी पर राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर प्रसारित नियम/आदेश भी लागू होंगे।

6.5 योजनाओं में उपलब्ध भूखण्डों की संख्या एवं क्षेत्रफल में कमी व बढोत्तरी की जा सकती है। जिसकी सूचना जविप्रा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी।

7. आवेदन शुल्क, पंजीकरण राशि एवं अन्य देय राशि से सम्बन्धित प्रावधान :–

7.1 आवेदक एक ही आवेदन पत्र के माध्यम से अपने आय वर्ग में भूखण्ड के लिये आवेदन करने पर आवेदन शुल्क रू. 500/– एवं निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

7.2 पंजीकरण राशि एवं आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, NEFT/RTGS अन्य के माध्यम से ई–मित्र कियोस्क पर जमा कराकर किया जा सकता है।

7.3 गलत बैंक खाता संख्या होने की स्थिति में पंजीकरण राशि के गलत बैंक खाते में हस्तान्तरित होने पर जविप्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7.4 आवेदक आवेदन करते समय अपना नाम (जैसा बैक खाते में हो), बैंक खाता संख्या (पूर्ण अंको सहित) तथा IFSC Code, बैंक का नाम एवं ब्रांच का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें। **संयुक्त नाम से खाता मान्य नहीं होगा।**

7.5 आवेदन का माध्यम एवं देय राशि

अ. आनॅलाईन आवेदन करने पर आवेदन शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान - Net Banking, Credit Card, Debit Card के माध्यम से किया जा सकेगा।

ब. ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करने पर ई–मित्र सेवादाता द्वारा निम्नानुसार राशि देय है

आवेदन राशि से	आवेदन राशि तक	अतिरिक्त देय राशि
5001.00	25000.00	48.00
25001.00	50000.00	74.00
50001.00 **से अधिक**		126.00

8. आवेदन करने की प्रक्रियाः

8.1 आवेदन फार्म में आवेदक को आधार कार्ड नम्बर का अंकन करना अनिवार्य है। यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा।

8.2 भूखण्डों के लिए आवेदन जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाईन या ई–मित्र कियोस्क केन्द्रो के माध्यम से ही स्वीकार किये जायेगें।

8.3 आवेदन करते समय आवेदक द्वारा मोबाईल नम्बर ऑनलाईन आवेदन में भरने पर मोबाईल नम्बर की पुष्टि (कन्फर्म) करने हेतु कम्प्यूटर द्वारा उक्त मोबाईल पर OTP (One Time Password) एक बारीय पासवर्ड संख्या भेजी जावेगी। जिसे ऑनलाईन आवेदन के भरने में पश्चात् ही शेष फार्म भरा जा सकेगा।

8.4 लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्रों में किसी भी प्रकार का यथा नाम, मोबाईल नम्बर, आरक्षित वर्ग, आय वर्ग, पता, बैंक खाता संख्या, आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि का कोई शुद्धिकरण नहीं किया जावेगा। अतः आवेदक द्वारा आवेदन फार्म अत्यधिक सावधानी से भरा जाना चाहिए।

8.5 आवेदक द्वारा आवेदन करने के पश्चात् लॉटरी से पूर्व एवं पश्चात् आवेदन–पत्र आहरित (वापस) नहीं लिया जा सकेगा। अतः आवेदन कर्ता द्वारा आवेदन का निर्णय स्वंय के स्तर पर लेकर ही ऑनलाईन आवेदन फार्म भरा जावें।

9. आवेदन निरस्त कर सम्पूर्ण पंजीकरण राशि जब्त किये जाने के बिन्दु :

9.1 एक से अधिक आई.डी. से आवेदन करने, एक से अधिक खाता संख्या से आवेदन करने तथा एक से अधिक मोबाइल नम्बर से आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे तथा सम्पूर्ण राशि जब्त कर ली जावेगी।

9.2 यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो।

9.3 आवेदन पत्र में गलत तथ्य (यथा मोबाईल नम्बर एवं बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड इत्यादि देने पर ।

9.4 अवयस्क व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर ।

9.5 संयुक्त नाम से आवेदन करने पर।

9.6 राज्य सरकार के आदेश दिनांक 01.04.15 एवं 12.08.15 के अनुसरण में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी फ्लैटों एवं भूखण्डों के आवंटन के संबंध में राज्य सरकार की मंशा सही एवं पात्र व्यक्तियों को उचित कीमत पर आवास सुविधा उपलब्ध करवाने की है, जिसके लिए आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन फार्म में स्वयं का सही तथ्यात्मक एवं विधि सम्मत् विवरण दिया जाना आवश्यक है। गलत तथ्य/सूचना पाये जाने पर पंजीकरण राशि जब्त किया जावेगा।

9.7 लॉटरी के पश्चात् लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जॉच संबंधित जोन स्तर पर की जावेगी जिसमें गलत तथ्य पाये जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखण्ड निरस्त कर दिया जावेगा।

9.8 यदि गलत तथ्यों के आधार पर आवेदक यदि भूखण्ड आवंटन करवाने में सफल हो जाता है। एवं ऑवटन जारी होकर भूखण्ड की कीमत जमा पश्चात् भी यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो क्षेत्रीय उपायुक्त द्वारा आवंटी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आवंटी के गलत तथ्यों के आधार पर आवंटन का दोषी पाये जाने पर आवंटन निरस्त कर जमा सम्पूर्ण राशि जब्त कर भूखण्ड का कब्जा क्षेत्रीय उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

10. लॉटरी में सफल होने पर आवंटन प्रक्रिया :

10.1 लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जविप्रा वेबसाईट के माध्यम से भरा हुआ फार्म डाउनलोड किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गये फार्म पर निर्धारित स्थान पर हाल ही में खींची हुई फोटो तथा हस्ताक्षर के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र/दस्तावेज लॉटरी की तिथि से 7 दिवस में सम्बन्धित जोन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा अन्यथा लॉटरी में खुले भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

- शपथ पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र (समस्त आवेदकों के लिए),
- जन्म तिथि का प्रमाण पत्र (वोटर आई.डी./ड्राइविंग लाईसैंस/पासपोर्ट/ अंकतालिका आदि में से कोई भी)

- आधार कॉर्ड की प्रमाणित प्रति/यदि आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार कार्ड का पंजीकरण नम्बर अंकित करना होगा। आधार कार्ड आने पर उसका नम्बर प्राधिकरण के जोन कार्यालय में अपडेट कराना होगा। (समस्त आवेदकों के लिए)
- सकल वार्षिक आय वित्तीय वर्ष 2018–19 प्रमाण पत्र (बिना कटौती के), (स्वयं,पति/पत्नी एवं आश्रित की आय को सम्मलित करते हुए), (समस्त आवेदकों के लिए)

10.2 ऑनलाईन आवेदन में भरा गया मोबाईल स्वयं, पति/पत्नि अथवा आश्रित के नाम होने का मूल दस्तावेज एवं परिवार के सदस्यों का मोबाईल नम्बर होने का बिन्दु संख्या 4.3 के अनुसार परिवार के सदस्य होने का साक्ष्य दिया जाना अनिवार्य होगा। जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जॉच करने के उपरान्त पात्र आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जायेंगे। मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस में भूखण्ड की कीमत जमा करवानी होगी।

10.3 पात्र आवेदक को निर्धारित राशि आवंटन–मांग पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में NEFT/RTGS/बैंक ड्राफ्ट द्वारा सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम से जयपुर रीजन स्थित किसी भी आई.सी.आई.सी.आई बैंक की शाखा में निर्धारित चालान से एक मुश्त जमा करानी होगी।

10.4 नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक. प.2(18)नविवि/5/2009/पार्ट–VIII दिनांक 21.03.2018 के अनुसार पूर्व की योजनाओं में निरस्त/गैर आवंटित आवास/भूखण्ड संबंधित निकाय द्वारा मॉडल–1 के तहत एक माह में आवेदन प्राप्त कर आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें तथा आवंटियों से पुनः आवंटित आवासों की सम्पूर्ण राशि तीन माह में ली जावेगी जिसमें से विकासकर्ता के हिस्से की राशि का भुगतान विकासकर्ता को तुरन्त किया जावेगा।

11. असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि की वापसी :

11.1 लॉटरी में असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफण्ड ऑनलाईन बैंकिंग के माध्यम से आवेदक द्वारा भरे गये आवेदन फार्म के बचत खाता संख्या व IFSC Code में NEFT के माध्यम से हस्तान्तरित की जावेगी। रिफण्ड हेतु खाता संख्या में दो बार ही शुद्धिकरण का अवसर दिया जावेगा। उसके पश्चात् राशि जब्त कर ली जावेगी। जविप्रा द्वारा किसी भी स्थिति में Chargeback देय नहीं होगा।

11.2 असफल आवेदकों को लाटरी दिनांक से 6 माह तक जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि आवेदक द्वारा गलत दर्ज आई.एफ.एस.सी. कोड, बैंक खाता संख्या एवं नाम इत्यादि जिसके कारण पंजीयन राशि लौटाये जाने में विलम्ब होने पर जविप्रा द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. अन्य महत्वूपर्ण शर्ते :

12.1 भूखण्ड 99 वर्ष की लीज पर आवंटित किए जावेंगें।

12.2 आवंटी द्वारा भूखण्ड के पेटे निर्धारित दर से जमा करायी गई कीमत माननीय सर्वोच्य न्यायालय, नई दिल्ली को जविप्रा द्वारा ट्रांसफर की जावेगी।

12.3 जोन उपायुक्त द्वारा आवंटियों को लिखित में लीजडीड निष्पादन की सूचना, देय स्टाम्पस की राशि, नियमन राशि इत्यादि का विवरण अवगत कराते हुए पत्र भेजा जायेगा।

12.4 आवंटी को लीज डीड पंजीयन का खर्च स्वयं वहन करना होगा तथा उसके पश्चात् ही भूखण्ड का भौतिक कब्जा दिया जायेगा।

12.5 राज्य सरकार के संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को सम्पति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास सम्पति कर, नगर निगम कर, विकास कर, लीज राशि इत्यादि।

12.6 राजस्थान सरकार नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 23.02.2016 के अनुसार आंवटित भूखण्ड को आवंटी द्वारा 10 वर्ष की अवधि तक विक्रय अथवा हस्तातंरण नहीं किया जा सकता है अतः प्राधिकरण द्वारा भी हस्तान्तरण नहीं किया जावेगा। ऐसे प्रकरण ध्यान में आने पर आवंटी का सुनवाई का अवसर देकर आवंटन रद्द कर भूखण्ड का कब्जा उपायुक्त जोन द्वारा ले लिया जावेगा।

12.7 आवंटन में प्राप्त भूखण्ड केवल आवासीय उपयोग में लिया जा सकेगा। आवास में आवंटी किसी प्रकार का अनाधिकृत निर्माण नहीं किया जावेगा एवं न ही अन्य कोई अनाधिकृत/वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लघंन करने पर राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को आवास का आवंटन निरस्त करने के समस्त अधिकार होगें।

12.8 राज्य सरकार/स्थानीय निकाय को ऐसे भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए कब्जा स्वतः प्राप्त कर अन्य पात्र व्यक्तियों को आवंटन का पूर्ण अधिकार होगा।

12.9 निजी खातेदारी की अनुमोदित योजनाओं के भूखण्डों का निर्माण कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि में पूर्ण करना होगा। अन्यथा आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा।

12.10 लॉटरी तिथि से पूर्व आवेदन के लिए उपलब्ध भूखण्ड की संख्या में कमी अथवा बढ़ोतरी की जा सकती है।

12.11 प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखण्ड के आवंटन की शर्त बदलने का हक रखता है।

12.12 किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयुक्त जविप्रा का निर्णय अन्तिम होगा।

12.13 किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के सम्बन्ध में न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर ही होगा।

<u>स्वप्रमाणित</u>

(समस्त आवेदकों के लिए)

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....

आयु........................... निवासी ....

.... शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ, कि

(1) यह कि मेरे या मुझ पर आश्रित के पास राजस्थान के 1,00,000 से अधिक आबादी वाले किसी कस्बा/शहर में कोई पूर्ण अथवा अपूर्ण, लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड आवासीय भूखण्ड अथवा मकान नहीं है तथा मैं राजस्थान का/की मूल (बोनाफाईड) निवासी हूँ।

(2) यह कि आवेदन पुस्तिका को मैंने ध्यान, पूर्वक पढ़ लिया है तथा मैं अपने आय वर्ग अनुसार निर्धारित श्रेणी में ही आवेदन कर रहा/रही हूँ, जिस हेतु आवेदन प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेंगे मैं पेश कर दूॅगा/कर दूॅगी।

(3) यह कि मैंने **सामान्य/आरक्षित श्रेणी (राजस्थान राज्य कर्मचारी/सैनिक/अनु0जाति/ अनु0जनजाति/विकलांग/अधिस्वीकृत पत्रकार)** में आवेदन किया है जिसकी मैं पात्रता रखता/रखती हूँ। इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र जब भी मुझसे मांगे जावेगे, मैं प्रस्तुत कर दूॅगा/कर दूॅगी।

(4) उक्त वांछित प्रमाण पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मुझे आवंटित भूखण्ड अथवा फ्लैट् निरस्त किया जा सकेगा।

(5) प्राधिकरण की किसी भी आवासीय योजना में विगत 10 वर्षो में कोई भूखण्ड/फ्लैट् मेरे (स्वयं पति/पत्नि तथा किसी आश्रित के नाम भूखण्ड/मकान आवंटित नहीं हुआ है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

<u>घोषणा</u>

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....

शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्वप्रमाणित

आय प्रमाण–पत्र

(गैर वेतन भोगी/निजी व्यवसाय/निजी वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... जाति .... निवासी....................... .... तहसील....................................जिला .... राज्य .... की स्वंय पत्नि/पति एवं आश्रित की सकल मासिक आय रू0......................... .... प्रतिमाह हैं एवं मेरा पैन नम्बर ....हैं।

हस्ताक्षर आवेदक

घोषणा

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री श्री ....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ, कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। गलत घोषणा पत्र प्रस्तुत करने पर मेरे विरूद्ध **भारतीय दण्ड सहिता(IPC)** अनुसार संबन्धित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक के हस्ताक्षर

आय प्रमाण–पत्र (वेतन भोगी आवेदकों के लिए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री .... इस विभाग में .... पद पर कार्यरत हैं एवं ये केन्द्र/राजस्थान सरकार अथवा केन्द्र/राजस्थान सरकार के उपक्रम की नियमित कर्मचारी हैं। इनकी सकल मासिक आय रू0 .... प्रति माह है।

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष

दिनांक : के हस्ताक्षर मय मोहर

स्थान : विभाग/उपक्रम का नाम